भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 1249
उत्तर देने की तारीख-29/07/2026

भारतीय सांकेतिक भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया जाना

1249. डा. अजित माधवराव गोपछड़े :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) को संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत 23वीं आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए अनुशंसाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें केरल के राज्य दिव्यांगजन आयुक्त की अनुशंसा भी शामिल है;
(ख) क्या यह प्रस्ताव गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग में विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार ऐसी मान्यता देने की व्यवहार्यता और रूपात्मकता की जांच करने के लिए राज्य सरकारों, विशेषज्ञों और बधिर समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ व्यवस्थित परामर्श करने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क) से (ग): संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) को 23वीं आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के संबंध में केरल राज्य दिव्यांगजन आयुक्त से कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है।

*****